

एसडीओ/रीट

2-1) आज्ञाप्रदाता के रूप में ई (एच/ए) में फयलुडरी वरुषी व माला को  
अनन्य (अनन्य) सिद्धता का अर्थव्यवस्था किया वरुषी व माला को  
क आरुषी व माला को अर्थव्यवस्था वरुषी व माला को अर्थव्यवस्था  
अर्थव्यवस्था के अर्थव्यवस्था वरुषी व माला को अर्थव्यवस्था  
अर्थव्यवस्था के अर्थव्यवस्था वरुषी व माला को अर्थव्यवस्था  
अर्थव्यवस्था के अर्थव्यवस्था वरुषी व माला को अर्थव्यवस्था  
अर्थव्यवस्था के अर्थव्यवस्था वरुषी व माला को अर्थव्यवस्था

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,  
कोटकासिम (अलवर)

(पीठासीन अधिकारी लोक-अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प.....हरसौली

पीठासीन अधिकारी:- विश्वामित्र मीना, आरएएस

उनवान

यशवन्त.....बनाम.....तारावती आदि

दावा बाबत.....हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


मुकदमा नम्बर : 69/01.05.2014

निर्णय दिनांक:- 07.07.2017

वादी वकील की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख.....07.07.2017 को विश्वामित्र मीना, आरएएस, उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम(अलवर) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए कैम्प कोर्ट में पेश होने पर सुना गया व पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया । रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:- वादीगण विवादित आराजी वाके ग्राम हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान खसरा नम्बर 1187/0.24 हैक्टेयर की नियमानुसार पैमाइश कराये, तत्पश्चात पैमाइश होने के बाद पैमाइश के अनुसार पैमाइश रिपोर्ट में उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवादी गण का अतिक्रमण पाया जाता है तो उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबन्द रहेंगे कि वो विवादित आराजी के किसी भी जुज पर जबरन कब्जा ना करें,, ना निर्माण करें, वादीगण व तर0 प्रति0 के कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा ना करें। मौके की यथास्थिति कायम रखें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर करें। निर्णय कैम्प कोर्ट में लिखाया जाकर खुले में सुनाया गया।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज तारीख.....07.07.2017...को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

  
(विश्वामित्र मीना)  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहा.कलक्टर,कोटकासिम  
कैम्प कोर्ट.....हरसौली